रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 1985/माघ 15, 1906
No. 63] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 1985/MAGHA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1985

का. आ. 93(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सबलोक क्लीनिक के विज्ञापन देने वाली "हैप्पी मैरीड लाइफ" (हिन्दी) नामक विज्ञापन-फिल्म, जिसे केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (जिसे इसके बाद उक्त बोर्ड कहा जाएगा) ने लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणीकृत कर दिया है, एक वयस्क विषयक फिल्म है और इसे ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि यह अवयस्कों के लिए उपयुक्त नहीं है; और यत: उक्त बोर्ड द्वारा इस फिल्म को केवल वयस्कों के लिए निर्बन्धित लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणीकृत किया जाना चाहिए था ;

अत: चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 6 की उप-धारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह

निदेश देती है कि ''हैप्पी मैरीड लाइफ'' (हिन्दी) नामक फिल्म को, जिसे उक्त बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र संख्या यू-103924, दिनांक 10-2-83 प्रदान किया गया था, एक ऐसी फिल्म समझा जाएगा जिसके बारे में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ''ए'' प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है ।

[सं. 809/16/83-एफ(सी)]

विजेन्द्र सिंह जाफा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1985

S.O. 93(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the advertisement film "HAPPY MARRIED LIFE" (Hindi) Advertising Sablok Clinic which has been certified by the Board of Film Certification (hereinafter called the said Board) for public exhibition, deals with an adult theme and has been presented in such a manner that it is not suitable for non-adults, and whereas the firm should have been certified by the said Board for public exhibition restricted to adults only;

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 6 of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952) the Central Government hereby directs that the film entitled "HAPPY MARRIED LIFE" (Hindi) which was granted certificate No. U-103924 dated 10-2-83 by the said Board shall be deemed to be a firm in respect of which an 'A' certificate has been granted, with effect from the date of issue of this Notification.

[F. No. 809|16|83-F(C)]

VIJENDRA SINGH JAFA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985